

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फैजाबाद / गोण्डा / आजमगढ़ / हमीरपुर / सुल्तानपुर / कौशाम्बी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवी आपदा कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 1,96,87,971/- (रु० एक करोड़ छियानवे लाख सत्तासी हजार नौ सौ इकत्तर मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	पत्रांक व दिनांक	मद	मांगी गयी / स्वीकृति धनराशि (रूपये में)
1	फैजाबाद	740 / सी०आर०ए०-13(राहत) / बजट / 2013-14 24.04.13	दैवीय आपदा मद	50,00,000 / - (रु० पचास लाख)
2	गोण्डा	154 / दैवी आपदा / आवंटन / 2013-14 18.04.13	दैवीय आपदा मद	25,00,000 / - (रु० पच्चीस लाख)
3	आजमगढ़	827 / आपदा-2013-14 बजट 17.04.13	दैवीय आपदा मद	25,00,000 / - (रु० पच्चीस लाख)
4	हमीरपुर	2152 / सी०आर०ए०-तेरह-दैवीय आपदा-ओलावृष्टि / वर्षा (2013-14) 06.05.13	कृषि निवेश अनुदान	21,87,971 / - (रु० इक्कीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र)
5	सुल्तानपुर	865 / मु०रा०ले०-आपदा 02.05.13	दैवीय आपदा मद	50,00,000 / - (रु० पचास लाख)
6	कौशाम्बी	1140 / दैवी आपदा-कौ० 28.04.13	दैवीय आपदा मद	25,00,000 / - (रु० पच्चीस लाख)
योग				1,96,87,971 / - (रु० एक करोड़ छियानवे लाख सत्तासी हजार नौ सौ इकत्तर मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं-अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं-सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत मदों में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।

4. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र सं0-जी0आई0-18/1-10-2012, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-32-3/2012-NDM-1, दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नॉर्म्स की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/-से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जायें।

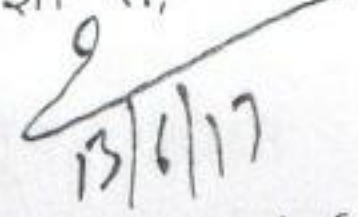
6. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

3 | Page

- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, फैजाबाद / गोण्डा / आजमगढ़ / हमीरपुर / सुल्तानपुर / कौशाम्बी / ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार बाजपेई)
उपसचिव।

